<u>संख्या-90/2026/001/390/26-27-सिं-9-97 एसएवी/24</u>

प्रेषक,

कुलदीप श्रीवास्तव,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

<u>सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-9</u> <u>लखनऊः दिनांक 15 मार्च, 2026</u>

विषयः- कबरई बांध के डूब क्षेत्र में आने वाले ग्रामों की कृषक भूमि एवं पुनर्वास की परियोजना की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता(अग्रिम नियोजन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-2397/2227/परियोजना/कैम्प/बजट, दिनांक 10.03.2026 एवं शासनादेश संख्या-66/2026/001/145/26-27-सिं-9-97 एसएवी/24, दिनांक 24.02.2026 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **कबरई बांध के डूब क्षेत्र में आने वाले ग्रामों की कृषक भूमि एवं पुनर्वास की परियोजना** हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनु0 सं0-94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) पूँजीलेखा पक्ष के लेखाशीर्षक-4701-39-051-05-14-60 के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 10000.00 लाख में से रू0 65,00,00,000.00 (रूपये पैंसठ करोड़ मात्र) परियोजना के कार्यों पर व्यय वहन हेतु आपके निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र0 सं0	परियोजना का नाम	अनुदान सं0/ लेखाशीर्षक	वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्राविधानित बजट	शासन द्वारा प्रदत्त स्वीकृति का सन्दर्भ शासनादेश सं0/दिनांक	प्रशा0 स्वीकृति की लागत a गठित/ (अनुबन्ध की लागत) b	अनुबन्धित लागत आधार पर कार्य की पुनरीक्षित लागत	गठित अनुबन्ध पुनरीक्षित/ लागत के आधार पर बचत {6(a)-7}	अब तकक्रमिक आवंटन/ व्यय	परियोजना पर आवंटन हेतु अवशेष धनराशि (पुनरीक्षित लागत सापेक्ष) 7-9	वित्तीय वर्ष 2025-26	
										अनुदान सं0/ लेखाशीर्षक	अवमुक्त की जाने वाली प्रस्तावित धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	कबरई बांध के डूब क्षेत्र में आने वाले ग्रामों की कृषक भूमि एवं पुनर्वास की परियोजना	4701-39-051-05-14-60	10000.00	सं0-66/2026/ 001/145/26-27-सिं0-9-97 एसएवी/24 दिनांक-24.02.2026	(a) 19802.76 / (b)0.00	--	--	3500.00 / 910.00	16302.76	4701-39-051-05-14-60	6500.00

<u>**नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों**</u>

(1) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी विभाग की होगी तथा विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाये।

(2) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.gov.in

(4) विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(5) प्रायोजना में भूमि अध्याप्ति का प्राविधान किया गया है। अतः भूमि का क्रय विभाग द्वारा सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(6) विभाग द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-16/2018/बी-2-979/दस-2018-244/2018, दिनांक 01 सितम्बर, 2018 के सम्बन्ध में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) विभाग द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(8) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व प्रशासकीय विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(9) विभाग द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27.03.2025 में वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 65,00,00,000.00 (रूपये पैंसठ करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 094 **लेखा शीर्षक** 4701390510514 सम्बद्ध कार्य **मानक मद** 60 भूमि क्रय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27.03.2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
कुलदीप श्रीवास्तव
विशेष सचिव।

<u>संख्या एवं तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- प्रमुख अभियन्ता(परियोजना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4- मुख्य अभियन्ता (बजट)/(अग्रिम नियोजन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5- मुख्य अभियन्ता (परि0 बेतवा), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, झांसी।
6- वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
7- अनु सचिव(लेखा) एवं नोडल अधिकारी, ऑन लाइन बजट आवंटन, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।
8- मुख्य अभियन्ता(सूचना प्रणाली संगठन)/नोडल अधिकारी, CMIS पोर्टल, सिंचाई एंव जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
9- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-8, उ0प्र0शासन।
10- गार्ड बुक।

आज्ञा से,
राजीव कुमार वत्स
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है